नियम–130 के अन्तर्गत श्री होशयार सिंह माननीय विधायक(देहरा) द्वारा उठाया गया प्रस्ताव जो कि चर्चा के लिए दिनांक 12–12–2018 को निर्धारित है।

प्रस्ताव

"हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये फैसले के अनुरूप पौंग बांध विस्थापितों के पुर्नवास हेतु यह सदन विचार करें।"

व्याख्यात्मक टिप्पणी चर्चा उठाने हेतुः

यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि माननीय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले पर पौंग बाधं विस्थापितों के पुनर्वास पर विचार करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय,

माननीय विधायक द्वारा उठाए गए प्रस्ताव की स्थिति इस प्रकार से हैः–

पौंग बांध निर्माण के लिए भू अधिग्रहण अधिनियम,1894 के अन्तर्गत वर्ष 1961 में पौंग बांध जलाशय के लिए भूमि अधिग्रहण की गई थी। पौंग बांध जलाशय के निर्माण का कार्य 1961 से शुरू होकर वर्ष 1971 में पूर्ण हुआ। पौंग बांध जलाशय के लिए 75268 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया था व तहसील देहरा एवं नूरपुर में कुल 339 गांवों में से 226 गांव पूर्ण रूप से व 113 गांव आंशिक रूप से अधिग्रहित किए गए। पौंग बांध के निर्माण में कुल 20722 परिवार प्रभावित हुए जिनमें 16352 परिवार ही राजस्थान में भूमि आंबटन के पात्र पाए गये। 16352 पौंग बांध विस्थापितों में से 15124 पौंग बांध विस्थापित को पात्रता प्रमाण पत्र जारी किए गये थे व 1228 पौंग बांध विस्थापितों ने आवेदन नहीं दिया था। माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश के निर्णय अनुसार अब तक 353 पौंग बांध विस्थापितों को पात्रता प्रमाण पत्र जारी करके फाईल आबंटन हेतु

राजस्थान सरकार को प्रेषित कर दी गई है। अतः आज तक कुल 15477 पात्रता प्रमाण पत्र जारी हो चुके है। राजस्थान सरकार द्वारा आज तक कुल 12027 पौंग बांध विस्थापितों को भूमि आबंटन की गई, जिनमें से 1188 मुरब्बे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार व लगभग 2830 मुरब्बे कब्जा न करने व किश्ते न भरने के कारण राजस्थान सरकार द्वारा रदद् कर दिये गए थे। मौजूदा समय में रिकार्ड अनुसार 8009 पौग बांध विस्थापित ही राजस्थान में मुरब्बों पर काबिज है। आज तक राजस्थान में आबंटन हेतु लगभग 2180 फाईल लम्बित है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय में श्री अश्वनी कुमार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया दायर याचिका संख्या 439/92 दिनांक 26.7.1996 की पालना में माननीय न्यायालय के आदेशानुसार सचिव, भारत सरकार,जल संसाधन मंत्रालय की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया जिसमें हिमाचल प्रदेश तथा राजस्थान सरकार के राजस्व सचिवों को बतौर सदस्य शामिल किया गया है तथा आज तक इस समिति की 24 बैंठके आयोजित की जा चुकी है।

जैसलमेर, राजस्थान में हुयी 23वीं बैठक में अध्यक्ष, उच्च स्तरीय समिति द्वारा तहसील रामगढ़ के चक गमलेवाला,हंसुवाला तथा लोंगेवाला के लगभग 613 मुरब्बे रदद् कर दिये व 36 मुरब्बे कब्जा न लेने के कारण खारिज कर दिए गए थे व 336 मुरब्बे तब्दीली हेतु बकाया है। 24वीं बैठक में राजस्थान सरकार द्वारा यह आग्रह किया गया कि उपायुक्त राहत एवं पुनर्वास कार्यालय राजा–का तालाब से दिनांक 3/7/2018 को दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों के मध्य जयपुर में सम्पन्न हुई बैठक की अनुपालना अनुसार 16352 प्रभावित परिवारों का कम्पयुटराईज्ड ब्यौरा उपलब्ध करवाने बारे चर्चा हुई थी, जिसका कार्य प्रगति पर है तथा दिनांक 31/01/2019 तक उपरोक्त (16352 परिवारों) कुल 339 गांवों का कार्य पूर्ण करके राजस्थान सरकार को प्रेषित कर दिया जाएगा। अभी तक लगभग 30 गांवों का कार्य पूर्ण हो चुका है।

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में पौंग बांध विस्थापितों द्वारा दायर याचिकाओं के निर्णय की अनुपालना में आज तक कुल 815 आवेदन उपायुक्त, राहत एवं पुनर्वास के कार्यालय में प्राप्त हुए, जिनमें से 757 अभ्यावेदन सिफारिश सहित राजस्थान सरकार को भेजे जा चुके है तथा उनके स्तर पर आबंटन हेतु लम्बित है।

माननीय उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश ने पौंग बांध विस्थापितों द्वारा दायर की गई याचिका CWP No.2414 of 2018 titled as Baldev Kumar Vs State of HP a/w CWPs No.2415 to 2418 of 2018 की सुनवाई के दौरान दिनांक 30.10.2018 को निम्नलिखित आदेश पारित किए हैः–

"The matter involves the claim of Pong Dam oustees for their rehabilitation and/or compensation in lieu of their land which has utilized for the construction of Pong Dam. State of Rajasthan, being one of the direct beneficiaries, is also under an obligation to rehabilitate the Pong Dam oustees, who are otherwise residents of the State of Himachal Pradesh, by allocating suitable land to them. For an agriculturist/villager of State of Himachal Pradesh, *prima facie*,it is difficult, if not impossible, to settle down in a remote area of District Jaislmer or Bikaner(Rajasthan) where the alternative land is being offered under the Rehabilitation Scheme. The appropriate recourse, which this Court is inclined to suggest, would be that the Government of Himachal Pradesh can identify the land within the State of Himachal Pradesh which can be acquired/purchased at the expenses of the State of Rajasthan to rehabilitate the Pong Dam oustees like the petitioner(s).

We are informed that Chief Secretaries of both the States are scheduled to meet on 2nd November,2018. While this Court would refrain from formulating a policy decision and /or to command the authorities to act in a particular manner, the recourse suggested herein above does require

thoughtful consideration at the hands of the authorities to achieve the outcome of their policy decision towards rehabilitation of Pong Dam oustees. Let a copy of this order be given to the learned counsel for State of Himachal Pradesh and Rajasthan for onward transmission for consideration of their respective authorities.

Post on 10th December,2018 for further consideration. *Copy dasti*."

माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के अनुसार हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 17.11.2018 को राजस्थान सरकार के साथ हिमाचल के पौंग बांध विस्थापितों को भूमि दिलाने हेतु भूमि के अधिग्रहण/खरीदने पर आने वाले खर्चे के वहन हेतु पत्र व्यवहार किया गया है तथा उपायुक्त जिला कांगड़ा को भी पौंग बांध विस्थापितों के पुनर्वास बारे भूमि का चयन करने के लिए दिनांक 21.11.2018 को पत्राचार किया गया है तथा उपायुक्त,(राहत एवं पुनर्वास),राजा का तालाब तहसील फतेहपुर को पौंग बांध विस्थापितों का पूर्ण ब्यौरा यथा समय जिलाधीश कांगड़ा को उपलब्ध करवाने के निर्देश जारी किए गए है।

चूंकि अधिग्रहण/खरीदी जाने वाली भूमि का खर्चा राजस्थान सरकार द्वारा वहन किया जाना है, अतः मामले में पहले उनकी सहमति जरूरी है, तत्पश्चात ही पौंग बांध विस्थापितों की संख्या के आधार पर हिमाचल प्रदेश में भूमि चिन्हित की जा सकेगी। इस हेतु हिंमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राजस्थान सरकार के साथ प्रयास किए जा रहे है। राजस्थान सरकार को अर्ध शासकीय पत्र संख्याः रैव(पी.सी.)ई(6)–98/2018 दिनांक 17.11.2018 द्वारा मामला उठाया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश,शिमला ने दिनांक 10.12.2018 को CWP No. 2414 of 2018 a/w CWP Nos.2415 to 2420,2490,2491,2506,2507,2537, 2549,2625, 2662 & 2833 of

2018,COPC No.193 of 2017 & Ex.Pet.Nos.05 and 25 of 2017 की सनुवाई करते हुए निम्नलिखित आदेश पारित किए हैः–

"Learned Additional Advocate General, of the basis of written instructions received from the Additional Chief Secretary-cum-Financial Commissioner(Revenue)Government of Himachal Pradesh, seeks a longer adjournment for at least three months, as according to him, the matter has been taken up with the State of Rajasthan to bear the cost of the land to be acquired/purchased within State of Himachal Pradesh. While we have no difficulty in adjourning the case, it appears to us that the matter needs to be taken up at the highest level between the States of Himachal Pradesh and Rajasthan.

Let therefore a meeting be held between the Chief Secretaries of States of Himachal Pradesh and Rajasthan and if need be, a further meeting be held between the highest Executive Authorities of the respective States, to take a conscious Policy decision with regard to purchase of land in any District in the State of Himachal Pradesh at the cost of State of Rajasthan. The meeting(s) shall be held within one month and a status report in this regard shall be placed on record.

Post the matter for further consideration on 10th January, 2019.

अतः मेरी सरकार पौंग बांध विस्थापितों की समस्याओं के निष्पादन हेतु तत्पर है व दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों की बैठक की व्यवस्था अतिशीघ्र सुनिश्चित की जाएगी और बर्षो पुराने इस मामले को समयबद्व तरीके से निपटाए जाने का हर सम्भव प्रयास करेगी।

***